"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त 2006—श्रावण 10, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2006 (श्रावण 10, 1928)

क्रमांक-9465/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006), जो दिनांक 1 अगस्त, 2006 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) में संशोधन हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा. 2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(एक) "मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004).

धारा-15 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा-15 में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "पांच" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय माह अप्रैल, 2005 में स्थापित हुआ है. अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन द्वारा नियुक्त कुलपति की कार्य अवधि दो वर्ष है. राज्य शासन द्वारा नियुक्त कुलपति का कार्य विश्वविद्यालय को कार्यशील बनाना है, पर अल्प अवधि में विश्वविद्यालय को कार्यशील बनाना कठिन है. परिस्थिति पर विचार कर राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक - 27 जुलाई, 2006

अजय चन्द्राकर
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 15 का सुसंगत उद्धरण

* *

धारा - 15 राज्य शासन एक तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, नवस्थापित विश्वविद्यालय के कार्य संचालन हेतु कुलपति के पद पर दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए करेगा तथा विश्वविद्यालय के इस प्रकार नियुक्त कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से सामान्यत: छ: मास की कालावधि के भीतर कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करे और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा.

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् तीन सदस्यीय समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद्, एक औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधि तथा प्रशासन विशेषज्ञ होगा, कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.